प्रेस नोट- दिनांक 26.03.2025 थाना- सहसवान जनपद बदायूँ।

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना सहसवान पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से बदायूँ पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता।

- **अन्तरजनपदीय लूट करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार।**
- **दिनांक 24-03-2025 थाना सहसवान क्षेत्रान्तर्गत सर्राफा व्यपारी के साथ की गयी लूट की घटना का सफल अनावरण।**
- **घटना कारित करने वाले 02 शातिर बदमाश आज दिनांक-26-03-2025 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए, उक्त बदमाश दिनांक 23.03.2025 को थाना सहवार जिला कासगंज में हुई सनसनीखेज लूटकाण्ड घटना में भी वांछित हैं बदमाश।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध शस्त्र तमन्चा 315 बोर, 06 कारतूस जिन्दा व 02 खोखा कारतूस तथा लूट की धनराशि 1,60,000 रुपये, 620 ग्राम चांदी धातु तथा एक मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स बिना नम्बर प्लेट व एक अदद मोबाइल फोन बरामद।**

दिनांक 24.03.2025 को थाना सहसवान पर सूचना प्राप्त हुई कि सर्राफा व्यापारी श्री चन्दन पुत्र श्री विपिन कुमार महेश्वरी निवासी मोहल्ला सैफुल्लागंज कस्बा व थाना सहसवान जनपद बदायूँ अपनी सर्राफा बाजार स्थित सर्राफे की दुकान बन्द कर अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ स्कूटी से घर जा रहे थे, शाम के समय करीब 18.30 बजे के आसपास अज्ञात बदमाशो द्वारा उनको रास्ते में रोककर तमंचे के बल पर लूट की घटना कारित की गई थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सहसवान पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री के0 के0 सरोज के नेतृत्व में चार टीमें गठित की गयी थी।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना सहसवान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 133/25 धारा 309(4) BNS बनाम अज्ञात के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक सहसवान द्वारा मुखबिर की सूचना पर भज्जी की मढैय्या के पुल पर चैकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल सवार पर 03 व्यक्ति बैठे थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये जिसमें मख्य आरक्षी श्री कुलदीप कुमार घायल हो गये जबकि पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु जबाबी कार्यवाही में दो अभियुक्तगण के पैर में गोली लगने से घायल हो गये, घायल व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होने अपना नाम क्रमश: चरन सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी मेघरा थाना जुनावई जनपद सम्भल तथा दूसरे ने राहुल शर्मा पुत्र लालाराम शर्मा निवासी मेघरा थाना जुनावई जनपद सम्भल बताया गया जबकि एक अभियुक्त रात्रि अन्धेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध शस्त्र तमन्चा 315 बोर, 06 कारतूस जिन्दा व 02 खोखा कारतूस व घटना में लूटे गये 1,60,000/- रूपये (एक लाख साठ हजार रूपये), पुराने दो हाथ के कड़े चाँदी के, एक पुरानी हसली चाँदी की तथा पुरानी चाँदी की टूटी तोड़िया बरामद व एक अदद मोबाइल फोन व एक अदद मोटर साइकिल HERO HF DELUX बिना नम्बर प्लेट बरामद किया गया।

विवरण पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण चरन सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी मेघरा थाना जुनावई जनपद सम्भल एवं राहुल शर्मा पुत्र लालाराम शर्मा निवासी मेघरा थाना जुनावई जनपद सम्भल से संघनता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण चरन सिंह व राहुल शर्मा ने एक स्वर में बताया कि साहब हम लोगो का एक संगठित लूट पाट करने का गिरोह है, हम दोनो ने अपने साथी शिव कुमार के साथ दिनांक 23.03.2025 को थाना सहवार जिला कासगंज में एक आढ़ती से फायर करके लूट की घटना की थी मौके पर हमारा साथी शिव कुमार पकड़ लिया गया जबकि हमलोग फरार हो गये थे। इसके अतिरिक्त दिनांक 24.03.2025 को शाम को कस्बा सहसवान में एक सुनार के साथ रूपये व जेवरात की लूट की थी। इससे पहले भी हम लोगो ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई जनपदों में ऐसे ही लूट की घटना की है। आज हम अपने अपने हिस्से व सामान एवं रूपयो का बटवारा करने जा रहे थे कि आप लोगो ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय

जंगल ग्राम भज्जी की मढैय्या दिनाँक 26.03.2025 समय करीब 02.30 बजे

बरामदगी विवरण

1- 02 अवैध शस्त्र तमन्चा 315 बोर, 06 कारतूस जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
2- धनराशि 1,60,000 रुपये,
3- 620 ग्राम चांदी धातु,
4- मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स बिना नम्बर प्लेट
5- एक अदद मोबाइल फोन,

अपराध करने का तरीका

अभियुक्तगण द्वारा जगह बदल-बदल कर लूट की घटना करना।

विवरण गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण

1. चरन सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी मेघरा थाना जुनावई जनपद सम्भल
2. राहुल शर्मा पुत्र लालाराम शर्मा निवासी मेघरा थाना जुनावई जनपद सम्भल

1- अभियुक्त चरन सिंह उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 133/25 धारा 309(4) BNS थाना सहसवान
2. मु0अ0सं0 776/16 धारा 379/411 IPC थाना नोएडा सेक्टर 58
3. मु0अ0सं0 333/16 धारा 379/411 IPC थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 1149/18 धारा 379/411 IPC थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 201/25 धारा 309(6) BNS थाना सहावर कासगंज
6. मु0अ0सं0 144/22 धारा 392 IPC थाना हरदुआगंज अलीगढ
7. मु0अ0सं0 145/22 धारा 392 IPC थाना हरदुआगंज अलीगढ
8. मु0अ0सं0 105/22 धारा 307 IPC थाना उघैती बदायूँ
9. मु0अ0सं0 130/22 धारा 307/392 IPC थाना उघैती बदायूँ
10. मु0अ0सं0 1030/15 धारा 379/411 IPC थाना उझानी बदायूँ
11. मु0अ0सं0 391/22 धारा 393 IPC थाना बिसौली बदायूँ
12. मु0अ0सं0 280/22 धारा 394/411 IPC थाना अनूपशहर बुलन्दशहर
13. मु0अ0सं0 249/22 धारा 392/411 IPC थाना छतारी बुलन्दशहर

14. मु0अ0सं0 253/22 धारा 307 IPC थाना छतारी बुलन्दशहर
15. मु0अ0सं0 254/22 धारा 3/25 A ACT थाना छतारी बुलन्दशहर
16. मु0अ0सं0 318/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छतारी बुलन्दशहर
17. मु0अ0सं0 281/20 धारा 411/413/420 IPC थाना गुन्नौर जनपद सम्भल

2- अभियुक्त राहुल शर्मा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 133/25 धारा 309(4) BNS थाना सहसवान
2. मु0अ0सं0 309/22 धारा 392/411 IPC थाना अतरौली अलीगढ
3. मु0अ0सं0 144/22 धारा 392 IPC थाना हरदुआगंज अलीगढ
4. मु0अ0सं0 145/22 धारा 392 IPC थाना हरदुआगंज अलीगढ
5. मु0अ0सं0 201/25 धारा 309(6) BNS थाना सहावर कासगंज
6. मु0अ0सं0 130/22 धारा 307/392 IPC थाना उघैती बदायूँ
7. मु0अ0सं0 391/22 धारा 393 IPC थाना बिसौली बदायूँ
8. मु0अ0सं0 249/22 धारा 392/411 IPC थाना छतारी बुलन्दशहर
9. मु0अ0सं0 253/22 धारा 307 IPC थाना छतारी बुलन्दशहर
10. मु0अ0सं0 255/22 धारा 3/25 A ACT थाना छतारी बुलन्दशहर
11. मु0अ0सं0 318/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छतारी बुलन्दशहर
12. मु0अ0सं0 201/25 धारा 309(6) BNS थाना सहावर कासगंज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना सहसवान मय टीम,
निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम,
निरीक्षक श्री अरिहन्त कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम,
उ0नि0 श्री धर्वेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद बदायूं।

सोशल मीडिया सेल,बदायूँ।